दूरभाषः 0121–2643400(असैनिक)
फैक्स : 0121–264418
ई–मेल :cbmeerut@dgest.org

संख्या / 167 / जी /
कार्यालय मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद्
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
मेरठ छावनी (उ0प्र0) पिन : 250001
दिंनाक नवम्बर 2015

सेवा में,

1. महानिदेशक, रक्षा सम्पदा
   भारत सरकार, रंक्षा मंत्रालय,
   रक्षा सम्पदा भवन,
   उलान बटार मार्ग, दिल्ली छावनी –10।
2. जीओसी–इन–चीफ मध्य कमान,
   1,महात्मा गांधी मार्ग,
   लखनऊ छावनी ।
3. प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा,
   17,करियप्पा स्ट्रीट,
   लखनऊ छावनी ।
4. जीओसी,मेरठ सबएरिया,
   मेरठ छावनी ।
5. श्रीमति बीना वाधवा, उपाध्यक्ष
6. ब्रिगेडियर जे0एस बिश्नोई, एसईएमओ / स्वास्थ अधिकारी, पदेन सदस्य
7. श्री गौरव वर्मा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
8. डीईओ, मेरठ वृत, मेरठ।
9. श्री राजीव श्रीवास्तव, सदस्य सचिव
10. कर्नल सुबोध गर्ग, मनोनीत सदस्य
11. कर्नल ए0के0 वैद, मनोनीत सदस्य
12. ले0 कर्नल अतुल पुठिया, मनोनीत सदस्य
13. श्री राकेश त्यागी, जी0ई(एस), पदेन सदस्य
14. श्रीमति रिनी जैन, निर्वाचित सदस्य
15. श्रीमति बुशरा कमाल, निर्वाचित सदस्य
16. श्री नीरज राठौर, निर्वाचित सदस्य
17. श्री अनिल जैन, निर्वाचित सदस्य
18. श्रीमति मन्जू गोयल, निर्वाचित सदस्य
19. श्री धर्मेन्द्र सोनकर, निर्वाचित सदस्य
20. श्री विपिन सोढी, निर्वाचित सदस्य

विशेष आमंत्रित

1–श्री राजेन्द्र अग्रवाल, माननीय संसद सदस्य
2–श्री मुनकाद अली, माननीय संसद सदस्य
3–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, माननीय विधायक

विषयः– छावनी परिषद् मेरठ की सामान्य बैठक का कार्यवृत्त ।

महोदय / महोदया,

छावनी अधिनियम 2006 की धारा 43(2) के प्रावधानों के अनुपालन में दिनांक 31.10.2015 को प्रातः 1100 बजे छावनी परिषद कार्यालय में सम्पन्न हुई छावनी परिषद् की सामान्य बैठक का कार्यवृत्त अग्रेषित किया जा रहा है ।

भवदीय

Sd/-
(राजीव श्रीवास्तव)भ.र.स.से.
मुख्य अधिशासी अधिकारी,
मेरठ छावनी।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

छावनी परिषद्, मेरठ की वेबसाईट पर पोस्ट कर दिया गया - cbmrt.org.in
सभी सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेज दिया गया

यह कार्यवृत्त अग्रेंजी के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद है किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर अग्रेंजी का मूल पाठ ही मान्य होगा।

निम्न सदस्य उपस्थित थे

1.	मेजर जनरल सुनील यादव, वाई.एस.एम, जी.ओ.सी/पी.सी.बी	अध्यक्ष
2.	श्रीमती बीना वाधवा	उपाध्यक्ष
3.	श्री राजीव श्रीवास्तव	मु.अ.अ/सदस्य सचिव
4.	कर्नल ए.के. वैध	मनोनीत सदस्य
5.	ले0 कर्नल अतुल पुठिया	मनोनीत सदस्य
6.	श्री राकेश त्यागी, जीई (एस)	पदेन सदस्य
7.	श्रीमती रिनी जैन	सदस्य
8.	श्रीमती बुशरा कमाल	सदस्य
9.	श्री नीरज राठौर	सदस्य
10.	श्री अनिल जैन	सदस्य
11.	श्रीमती मन्जू गोयल	सदस्य
12.	श्री धर्मेन्द्र सोनकर	सदस्य
13.	श्री विपिन सोढी	सदस्य

विशेष आमंत्रित

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल	माननीय विधान सभा सदस्य

निम्न सदस्य अनुपस्थित थे

1.	ब्रिगेडियर जे.एस बिश्नोई	पदेन सदस्य
2.	श्री गौरव वर्मा, एडीएम	सदस्य
3.	कर्नल सुबोध गर्ग	मनोनीत सदस्य

विशेष आमंत्रित

श्री राजेन्द्र अग्रवाल	माननीय संसद सदस्य
श्री मुनकाद अली	माननीय संसद सदस्य

दिनांक 16.09.2015 की बैठक में छावनी बोर्ड द्वारा लिए गए पिछले संकल्पों की प्रगति

सीईओ लिए गए कथित संकल्पों की स्थिति बोर्ड को बताएंगे।

71. **शपथ ग्रहण**

छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 17 के अन्तर्गत बोर्ड के सदस्य बनने पर श्री गौरव वर्मा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), मेरठ जिन्हे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मनोनीत किया गया है को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराना।

71. संकल्प

श्री गौरव वर्मा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ बैठक मे शामिल नही हुए, अतः छावनी परिषद् के सदस्य बनने पर उन्हे छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 17 के अन्तर्गत शपथ नही दिलाई जा सकी। कार्यसूची का बिंदु अगली बैठक के लिए विलंबित कर दिया गया।

72. **छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 26 के अंतर्गत की गई कार्यवाही।**

अध्यक्ष, छावनी परिषद् की पूर्व अनुमति दिंनाक 01.10.2015 से (1) बंग्ला संख्या 210 बी में अवैध निर्माण के लिए एसएलपी (सी) संख्या 9064/2013 छावनी परिषद्, मेरठ बनाम कमलेश शर्मा एवं 12 अन्य (2) नागरिक क्षेत्र के भीतर छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 के अंतर्गत जारी नोटिस पर एसएलपी(सी) संख्या 9599/2014 छावनी परिषद् मेरठ बनाम अफजल एवं 58 अन्य के सम्बन्ध मे रु 2.7 लाख प्रति, कुल रु 5.50 लाख के भुगतान हेतु सीईओ द्वारा की गई कार्यवाही को नोट करने हेतु।

72. संकल्प

नोट एवं अनुमोदित किया गया। निर्वाचित सदस्य श्री विपिन सोढी ने दिंनाक 16.09.2015 की बैठक मे बोर्ड द्वारा छावनी अधिनियम 2006 की धारा 26 के अंतर्गत की गई कार्यवाही को नोट करने का मुददा उठाया कि उन्होने इस मुददे पर कथित बैठक मे रिकार्ड किए गए संकल्पों मे सुधार करने हेतु एक पत्र भेजा था। सीईओ ने बोर्ड को विस्तृत कानूनी स्थिति बताई कि धारा 26 के अनुसार ऐसे मामले विरले होते है एवं कार्यवाही केवल आकस्मिक परिस्थिति मे ही की जाती है। मु.अ.अ ने यह भी सूचित किया कि व्यापार विनियमन के अनुसार ऐसी कार्यवाही के सभी सम्बन्धित कागजात छावनी परिषद् सदस्यों के लिए बैठक से पूर्व हमेशा उपलब्ध है। बोर्ड ने यह नोट किया। मु.अ.अ ने कहा कि निर्वाचित सदस्य को कार्यालय द्वारा उनके पत्र का अलग से जवाब दिया जाएगा।

73. **मध्य कमान के छावनी परिषदों के स्कूलों की खेलकूद प्रतियोगिता "शिखर 2015" का आयोजन।**

छावनी परिषद्, मेरठ को मध्य कमान के छावनी परिषदों के स्कूलों की द्विवर्षिय आधार पर होने वाली खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सौंपा गया है। प्रतियोगिता का नाम शिखर 2015 रखा गया है। प्रतियोगिता का आयोजन 17 से 19 नवम्बर के दौरान किया जाएगा। प्रतियोगी छावनी परिषद आरंभ मे यथानुपात 2 लाख प्रति परिषद का योगदान कर रहे है। छावनी परिषद् मेरठ ने बोर्ड द्वारा छा0बो0स 6(1) दिंनाक 01.09.2015 के माध्यम से अनुमोदित संशोधित बजट 2015–16 के जी–1(बी) मद्व के अंतर्गत 50 लाख रुपये की व्यवस्था रखी गई है। इस सम्बन्ध मे बनाया गया विस्तृत कार्यक्रम विचार एवं अनुमोदन हेतु पटल पर प्रस्तुत है।

73. संकल्प

बोर्ड ने मु.अ.अ द्वारा प्रस्तुत मध्य कमान खेलकूद प्रतियोगिता 'शिखर 2015' के कार्यक्रम को नोट एवं अनुमोदित किया। अध्यक्ष छावनी परिषद् ने सुझाया कि प्रस्तावित सम्मेलन न्यूनतम खर्च के साथ उच्च स्तर का होना चाहिए। अध्यक्ष छावनी परिषद् ने यह भी आश्वस्त किया कि सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए सब एरिया के द्वारा हर सम्भव मदद दी जाएगी। उन्होने जोर दिया कि सभी सदस्यों को सम्मेलन मे सहयोग देना चाहिए एवं अपने अनुभव एवं पंसद के अनुसार जिम्मेदारी उठानी चाहिए। सभी सदस्यों ने बोर्ड को पूर्ण सहयोग देने के लिए आश्वस्त किया।

74. **स्टाफ कार का प्रतिस्थापन।**

संदर्भ छा0बो0स0 47 दिंनाक 16.09.2015। बोर्ड ने रु 845414.99/– के मूल्य पर अनुमोदित डीजीएस एण्ड डी दरों पर सफेद रंग की मारूति सीएज वीडीआई खरीदने का निर्णय लिया था। निदेशालय रक्षा सम्पदा में बजट पर चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया गया कि एक अधिक उपयुक्त गाडी अर्थात इनोवा खरीद ली जाए चुंकि यह आर्कषक, मजबूत एवं साथ ही इससे समय समय पर स्टाफ का सीईओ से साथ होने वाले निरीक्षण के दौरान अन्य वाहन की होने वाली आवश्यक्ता का भी

निवारण भी हो जाएगा, ईधन की किफायत व रखरखाव के लिए भी सुविधाजनक है एवं एक वाहन जो अन्य जगह भी खरीदा जा रहा है। इनोवा का आधार मॉडल डीजीएस एण्ड डी दरों पर भी उपलब्ध पाया गया।

गाडी खरीदने हेतु टोयोटा के अधिकृत विक्रता (मै0 ग्रैंड टोयोटा उत्तराँचल ऑटोमोबाईल प्रा0 लि0) से प्राप्त गाडी (इनोवा) के मॉडल इनोवा VX7 Str QK (आधार मॉडल) के लिए रु 1362397.00/– की डीजीएस एण्ड डी दरें निम्न हैः–

मॉडल	पूर्व–शो रुम कीमत	लोजिस्टिकस	इंश्योरेंस	रजिस्ट्रेशन	योग
इनोवा ZX7 Str QO	1159554	6250	55898	140695	रु 1362397/–

2015–16 के संशोधित बजट अनुमान के ए–4 मद्व मे बजट प्रावधान बनाया गया है।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड उपरोक्त को अनुमोदित करे।

74. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि बोर्ड द्वारा पूर्व में छा0बो0स0 47 दिंनाक 16.09.2015 के माध्यम से अनुमोदित मारूती सीआज वीडीआई मॉडल के स्थान पर कार्यबिंदु मे अंकित डीजीएस एण्ड डी उद्धत दरों पर इनोवा वीएक्स 7 एसटीआर क्यू के (बेस मॉडल) को अनुमोदित किया गया। सक्षम अधिकारी को स्वीकृति हेतु आवश्यक प्रस्ताव ए–4 मद्व के अंतर्गत निदेशालय रक्षा सम्पदा को भेजा जाए। यदि आवश्यक हो तो बजट मद्वों मे संशोधन किए जाए।

75. **रक्षा विभाग में शपथ पत्रों को समाप्त करने एवं स्व–प्रमाणित प्रक्रिया को अपनाने की समीक्षा।**

रक्षा विभाग मे शपथ पत्रों को समाप्त करने एवं स्व–प्रमाणित प्रक्रिया को अपनाने की समीक्षा के सम्बन्ध में महानिदेशालय के परिपत्र संख्या 76/67/मिस/सी/डीई/15/वोल 2 दिंनाक 29.09.2015 द्वारा अग्रेषित भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के निर्देशों पर विचार करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि भारत सरकार ने पंजाब की सेवाओं मे राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के प्रतिमान पर रक्षा विभाग मे शपथ पत्रों को समाप्त करने एवं स्व–प्रमाणित प्रक्रिया को अपनाने की समीक्षा करने के निर्देश दिए है। बोर्ड को आगे यह सूचनीय है कि बोर्ड के सम्बन्धित निम्न मामलों मे अभ्यर्थी से शपथ पत्र की आवश्यक्ता पडती हैः–

1. वसीयत एवं उत्तराधिकार के आधार पर म्यूटेशन।
2. संवैधानिक अवधि के समाप्त होने के पश्चात जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण।
3. पुरानी मौजूदा भवनों की मरम्मत की अनुमति
4. नया पानी का कनेक्शन जारी करने
5. पथ कर आदि निविदाओं के निविदा प्रपत्र जारी करने

सम्बन्धित शासनीय परिपत्र पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

75. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि केवल नया पानी का कनेक्शन जारी करने को छोडकर कार्यसूची के बिंदु पर अंकित अन्य सभी विषयों पर शपथ पत्र की आवश्यक्ता जारी रखी जाए। उसके स्थान पर स्व प्रमाणन कार्यालय द्वारा स्वीकार किया जाए। आगे निर्णय लिया गया कि कार्यसूची के बिंदु पर अंकित बाकी बचे सभी विषयों पर शपथ पत्र की आवश्यक्ता सुनिश्चित करने के लिए उच्च अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा जाएगा, चुंकि मौजूदा निर्देशों के अंतर्गत शपथ पत्र प्राप्त करना आवश्यक है

76. **सीईई को कार्यभार सौंपना।**

संदर्भ : छा0बो0स0 संख्या 60 दिंनाक 16.09.2015.

उपरोक्त सदंर्भित छा0बो0स के अनुसार, मामला श्री प्रशान्त माथुर, उच्च न्यायालय में भारत सरकार एवं छावनी परिषद, मेरठ के स्थायी अधिवक्ता को मामले की पत्रावली के साथ कानूनी राय हेतु भेजा गया था। दिंनाक 16.09.2015 को आयोजित बैठक में श्री विपिन सोढी, निर्वाचित सदस्य द्वारा उठाया गया मुदद्ा भी शामिल किया गया, यद्वपि कार्यालय अनुरोध के बावजूद वह उनसे लिखित में प्राप्त नही हुआ। श्री प्रशान्त माथुर ने अपने पत्र दिनांक 05.10.2015 के माध्यम से कानूनी राय व्यक्त की है। अधिवक्ता ने यह राय दी है कि छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 25(सी) एवं सीएफएसआर 1937 के नियम 7(2)(ए) के अनुसार, छावनी परिषद् के मुख्य अधिशासी अधिकारी को सक्षम अधिकारी के रुप में अपने कर्मचारियों को कार्य सौंपने की शक्ति है। श्री विपिन सोढी, निर्वाचित सदस्य द्वारा उठाए गया मुदद्ा कि क्या दायर याचिका संख्या 70147/2013 मे माननीय उच्च न्यायालय का अपने पूर्व आदेश को संशोधित करते हुए दिया गया आदेश छावनी बोर्ड को सीईई को पुनःकार्यभार सौंपने के सम्बन्ध मे कोई भी निर्णय लेने से रोकता है, अधिवक्ता ने राय दी कि वास्तव में माननीय उच्च न्यायालय यह बताते हुए ने मामले मे हस्तक्षेप करने से मना किया है कि अधिकारिक से काम लेने या न लेने का एकमात्र विशेषाधिकार सक्षम अधिकारी का है। अधिवक्ता ने यह राय भी दी कि जांच मे पहुंची मौजूदा कार्यवाही की स्थिति में छावनी अधिनियम की धारा 25(सी) एवं सीएफएसआर, 1937 के नियम 7(2)(ए) के अनुसार सक्षम अधिकारी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है एवं मामले मे उच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रतिबंध नही है।

उपरोक्त संदर्भित छा0बो0स0 के अनुसार कानूनी राय अध्यक्ष छावनी परिषद् से समक्ष प्रस्तुत की गई। अध्यक्ष, छावनी परिषद् ने कानूनी राय को बोर्ड को भेजने के लिए कहा। तद्वनुसार, मामला सभी सम्बद्व दस्तावेजों सहित प्रस्तुत है।

76. संकल्प

कार्यसूची के इस बिंदु को अन्य सभी बिंदुओं को पूरा करने के पश्चात लेने का निर्णय लिया गया।

77. **छावनी परिषद् मेरठ को एक वर्ष हेतु अति कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल मानवश्रम उपलब्ध कराने हेतु संविदा पर एजेंसी की नियुक्ति।**

छावनी परिषद् मेरठ को एक वर्ष हेतु अति कुशल/कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल मानवश्रम उपलब्ध कराने हेतु संविदा पर एजेंसी की नियुक्ति एवं उसके द्वारा उद्वत दरों पर विचार एवं अनुमोदन हेतु।

Sl. No.	Name of Agency	Rates for service charges of agency for Highly Skilled Manpower. Total Min. Wages : Rs.13048 (Incl EPF & ESI subs)			Rates for service charges of agency for Skilled Manpower Clerk, Lib cum Clerk, MPA, Draughtman, Electrician, Pharma etc. Total Min. Wages : 11848 (Incl EPF & ESI subs)			Rates for service charges of agency for Semi- Skilled Manpower Driver, OT Astt etc. Total Min Wages : 10094 (Incl EPF & ESI Subs)			Rates for service charges of agency for Unskilled Manpower Safaikarmchari, Beldar, Watchman, Mali , Peon etc. Total Min. wages : 8924 (Incl EPF & ESI Subs)		
		Rate of Service charge of agency	**Service tax as applicable**	**Total Wages**	**Rate of Service charge of agency**	**Service tax as applicable**	**Total Wages**	**Rate of Service charge of agency**	**Service tax as applicable**	**Total Wages**	**Rate of Service charge of agency**	**Service tax as applicable**	**Total Wages**
1	M/s Alaknanda Associates	913.00 per head per month	1955/-	15916.00	829.00 per head per month	1775/-	14452.00	707.00 per head per month	1512/-	12313.00	625.00 per head per month	1337/-	10886.00
2	Mukesh Kumar Gupta & Co.	1300/- per head per month	2080/-	16248.00	1100/- per head per month	1877/-	14825.00	1000/- per head per month	1463/-	12557.00	850/- per head per month	1293/-	11067.00
3	M/s A.K Enterprises	99.00 per head per month	N.A	13147.00	99.00 per head per month	N.A	11947.00	99.00 per head per month	N.A	10193.00	90.00 per head per month	N.A	9014.00
4	M/s Garrison Secrutitas	21.00 per head per month	As per Govt. Norms	13069.00	21.00 per head per month	As per Govt. Norms	11869.00	11.00 per head per month	As per Govt. Norms	10105.00	11.00 per head per month	As per Govt. Norms	8935.00
5	M/s Ved Security	182.67 per head per month	Applicable	13230.67	165.87	Applicable	12013.87	141.31 per head per month	Applicable	10235.31	124.93 per head per month	Applicable	9048.93

कार्यालय रिपोर्ट :–

- कार्यालय ने दैनिक हिन्दुस्तान अखआर में छपे विज्ञापन के माध्यम से दो बोली प्रणाली के अंतर्गत दिनांक 29.09.2015 को निविदाएं आमंत्रित की गई थी।
- 29.09.2015 को उक्त ऐजेंसियों से 05 निविदाएं प्राप्त हुई। मै0 गैरिसन सिक्योरिटास ने न्यूनतम सेवा प्रभार अति कुशल व कुशल के लिए रु 21/– प्रति व्यक्ति प्रति माह एवं अर्द्ध कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के लिए रु 11/– प्रति व्यक्ति प्रति माह उर्द्धत किए।
- नियुक्ति में 12 माह के लिए लगभग कुल 8 लाख रुपये प्रतिमाह का व्यय होगा। वास्तविक बजट के अंतर्गत आने वाले ए–4, ई–6, एफ–1(बी), एफ–5(बी) ए6 कइस–1(बी) मद्वों मे व्यवस्था मौजूद है एवं साथ ही संशोधित बजट के सम्बन्धित मद्वो मे भी रखा गया है।
- यह सूचनीय है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने डीओएफ संख्या 334/5/2015 के माध्यम से मानवश्रम एवं सुरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने वाली सभी व्यक्तिगत/फर्म को पूर्ण तरह से सेवा कर से मुक्त कर दिया है। अतः बोर्ड द्वारा किसी भी एजेंसी को सेवा कर देय नही होगा।
- मै0 वेद सिक्योरिटिस द्वारा दिए गये पत्र दिनांक 30.09.2015 जो 1 प्रतिशत से कम सेवा कर के आधार पर निविदा निरस्त होने के सम्बन्ध मे है भी पटल पर प्रस्तुत है।
- वर्तमान मे, मौजूदा अनुबंध दिंनाक 09.10.2015 को समाप्त होने के कारण सविंदा कर्मियों की नियुक्ति की अवधि को सीईओ द्वारा बढा दी गई। बढाई गई अवधि दिंनाक 10.10.2015 से 02

माह के लिए अथवा नयी एजेंसी की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दी जाए।

सम्बन्धित पत्रावली संख्या आउटसोर्सिंग/जी/एडीएम/2015–16 एवं एमसीबी/लेबर कॉन्ट्रेक्ट/2015–16 पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड से अनुरोध है कि मामले पर विचार कर निर्णय लें।

77. संकल्प

निविदाओं पर विस्तृत विचार किया गया। विचार विमर्श के पश्चात बोर्ड का मानना था कि मै0 गैरिसर सिक्योरिटास द्वारा उद्धत दरें व्यवहार्य नही दिखती है। इसलिए, सर्वसम्मति से नई निविदाएं आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया।

आगे यह भी निर्णय लिया गया कि इस बीच, नई आमंत्रित निविदाओं पर बोर्ड द्वारा अंतिम निर्णय लेने तक सभी प्रशासनिक सेवाओं को जारी रखने के लिए मु.अ.अ को कुशल/अकुशल स्टाफ मस्टर रोल पर केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया।

78. **<u>नागरिक क्षेत्र के लिए एलपीके 1613 पर टाटा 8.5 सीयू एमटी. टिपर की खरीद।</u>**

बोर्ड के संज्ञान मे यह लाना है कि 06 ट्रेक्टर एवं ट्रॉली (पुराने) नम्बर यूएसएल 9990, यूएसएल 9744, यूएसएल 9987, यूएसडी 5073, यूएसडी 5066, यूएसएल 9991 मॉडल 1962–63 वर्ष 1962–63 में खरीदे गए थे। उन्होने अपना जीवन पूर्ण कर चुके थे एवं किफायती मरम्मत के परे होने पर बोर्ड द्वारा छा0बो0स0 305 दिंनाक 30.11.2012 एवं छा0बो0स0 393 दिंनाक 11.03.2013 के माध्यम से नीलाम कर दिए गए थे। बोर्ड ने इन घिसे हुए एवं नीलाम हुए वाहनों जो कि छावनी में सफाई सुविधा के लिए नियोजित थे के प्रतिस्थापन के लिए वाहन नही खरीदे एवं यह लगातार कमी छावनी क्षेत्र की सफाई स्तर मुख्य रुप से **स्वच्छ भारत अभियान** के प्रयासों को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। अतः, यह प्रस्ताव दिया जाता है कि 06 टिपर डमपर नागरिक क्षेत्र की प्रभावी सफाई सेवाओं के रखरखाव के लिए खरीद लिए जाए।

सभी सम्बन्धित कागजों के साथ केस पत्रावली संख्या 164/ई–5/टाटा 1613 विचार एवं प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

2015–16 के संशोधित बजट मे एफ–4(बी) के मद्व में 11टिपरों के बजट प्रावधान बनाया गया है परन्तु बोर्ड की सहायता अनुदान पर निर्भरता को देखते हुए इस वित्तीय वर्ष (2015–16) मे केवल 06 टिपरों का प्रस्ताव दिया गया है। बाकी बचे हुए अगले वित्तीय वर्ष 2016–17 को अग्रेनीत कर दिए जाए।

बोर्ड उपरोक्त को अनुमोदित करे एवं सदस्यगण किसी वाहन के प्रकार के लिए सुझाव दे सकते है जो कि ज्यादा किफायती एवं नवीनतम तकनीक प्रयोग के साथ लम्बे समय के प्रयोग के लिए सक्षम हो।

78. संकल्प

सीईओ ने बोर्ड को अध्यक्ष छावनी परिषद् के सुझाव के बारे मे बताया कि सदस्यगण ऐसे वाहन का सुझाव दे सकते है जो तकनीकी एवं सेवा वार अधिक उपयुक्त लगता हो, बोर्ड ने विचार विमर्श के पश्चात निर्णय लिया कि सक्षम अधिकारी की स्वीकृती के पश्चात एलपीके 1613 पर बने टाटा 8.5 कयूबिक मी0 के 06 टीपर खरीद लिए जाए। अध्यक्ष छावनी परिषद ने यह भी सुझाया कि छोटे क्षेत्र मे सफाई व्यवस्था के सुधार एवं किफायत एवं खर्चे के लिए 02 टाटा मैजिक ऐस खरीदेने के लिए भी विचार किया जा सकता है। बोर्ड ने सर्वसम्मति से यह करने का निर्णय लिया एवं यदि आवश्यक हो तो बजट अनुमान 2015–16 मे पुनर्नियोजन से आवश्यक प्रावधान शामिल किए जाए।

सीईओ ने कहा कि टाटा मैजिक ऐस वाहन की डीजीएस एण्ड डी दरों पर खरीद की संभावना को खोजा जाएगा एवं तद्वनुसार प्रक्रिया आंरभ की जाएगी।

निर्वाचित सदस्यों ने सी.डी.ए कॉलोनी एवं अन्य क्षेत्रों में सफाई सुविधाओं की आवश्यक्ता का मुदद्ा उठाया जिसके बारे में सीईओ ने सूचित किया कि उन्हे सफाई अनुबंध में शामिल नही किया गया है। निर्णय लिया गया कि सी.डी.ए को सूचित किया जाए कि छावनी परिषद् से सफाई सुविधाएं प्राप्त करने के लिए छावनी परिषद्, मेरठ से सफाई अनुबंध करना आवश्यक है। अध्यक्ष छावनी परिषद् ने भी आश्वस्त किया कि आगामी वर्ष 2016–17 मे सफाई अनुंबध मे कुछ क्षेत्रों को शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

79. **<u>आंकलनों का अनुमोदन।</u>**

मध्य कमान के अंतर्गत छावनी परिषद्ों के स्कूलों की खेल–कूद प्रतियोगिताएं शिखर 2015 17 से 19 नवम्बर 2015 के मध्य आयोजित होनी है, इसके लिए आवश्यक कार्य तैयारियों हेतु किए जाने है अतः वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंतर्गत निम्नलिखित रखरखाव के कार्यो का आंकलन विचार एवं अनुमोदन हेतु। इन आंकलनों मे वह कार्य भी शामिल है जिनके सम्बन्ध मे सदस्यों की ओर से निवेदन प्राप्त हुआ है और वह भी रखरखाव के कार्य शामिल है जो छावनी निधि के भवनों तथा स्टाफ क्वाटरों आदि मे होने है। इस प्रकार निम्नलिखित आंकलन तैयार किए गए हैः–

क्र0स0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत
1.	छावनी रेलवे स्टेशन के स्टाफ क्वॉटरों के पास सेप्टिक टेंक की मरम्मत	Rs.102000.00
2.	छावनी क्षेत्र मे जन समूह शौचालयों की मरम्मत	Rs.885000.00
3.	छावनी क्षेत्र 8 कइसत्रालयों की मरम्मत	Rs.492000.00
4.	आरए बाजार प्रा0 स्कूल के पास स्टाफ क्वार्टर की बाउंड्री दीवार की मरम्मत	Rs.71000.00
5.	छावनी निधि भवनों/एसेट की पुताई	Rs.795000.00
6.	छावनी क्षेत्र मे छावनी परिषद् के स्कूलो की मरम्मत	Rs.892000.00
7.	छावनी जनरल अस्पताल मे मरम्मत	Rs.964000.00
8.	छावनी निधि भवनों/एसेट में आंतरिक तारों/फिटिंग की मरम्मत/रखरखाव	Rs.985500.00
9.	छावनी क्षेत्र मे बाहरी बिजली तारों/फिटिंग (ओवर हैड) का सुधार/रखरखाव	Rs.495000.00
10.	छावनी क्षेत्र मे लीक हो रही पाईप लाईनों की मरम्मत	Rs.520000.00
11.	छावनी क्षेत्र के इंडिया मार्क 2 हैंडपम्पों की सप्लाई एवं लगाना /मरम्मत/पाईपों को बदलना.	Rs.976000.00
12.	छावनी क्षेत्र मे रेटरो रिफलेक्टिव बोर्डो, कैटआइस, सडक सुरक्षा उपकरणों, रिफलेक्टिव टेप अन्य की सप्लाई/लगाना।	Rs.585000.00
13.	छावनी क्षेत्र मे पार्को, फुटपाथों, डिवाईडरों आदि की मरम्मत	Rs. 978000.00
14.	छावनी क्षेत्र मे पुलियों की मरम्मत	Rs.515000.00
15.	छावनी परिषद् कार्यालय मे सदस्यगण कक्ष की मरम्मत	Rs.225000.00
16.	छावनी निधि भवनों/एसेट एवं वार्ड 1 से 8 मे लघु कार्यो के लिए (रु 100000 प्रति वार्ड मे)	100000x8= Rs.800000.00 + 500000= Rs.1300000.00
17.	सडको पर पैच कार्य (क) वार्ड 1 से 8 (100000 प्रति वार्ड) (ख) आबुलेन पर	100000x8= Rs.800000.00 + 150000.00= Rs.950000.00
18.	वार्ड 1 से 8 तक नालियों की मरम्मत (100000 प्रति वार्ड)	100000x8= Rs.800000.00
19.	वार्ड 1 से 8 मे इण्टरलॉकिंग टाईल्स की सप्लाई एवं लगाना	200000x8= Rs.1600000.00

अभियांत्रिक अनुभाग के सम्बन्धित स्टाफ द्वारा बनाए गए/जांचे गए आंकलन पट्ल पर प्रस्तुत है। क्रम संख्या 16 से 19 के सम्बन्ध मे, बोर्ड यह विचार कर सकता है कि या तो प्रत्येक वार्ड मे विशिष्ट कार्य के लिए प्रत्येक वर्ग मे समान आवंटन करे या वार्डवार उक्त कार्यो को कराया जाए।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले। संशोधित बजट 2015–16 मे बजट व्यवस्था रखी गई है।

79. संकल्प

विचार कर निर्णय किया गया कि कार्यबिंदु पर अंकित वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान होने वाले रखरखाव के कार्यों के आंकलनों को अनुमोदित कर दिए गए। बोर्ड ने क्रम संख्या 16 से 19 के सम्बन्ध मे प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत अविशेष कार्यो के लिए बराबर निधि के आवंटन या एक एक वार्ड में कार्य करने के विकल्पों पर भी विचार किया। विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात, निर्णय लिया गया कि अनुमोदित आंकलनों के क्रम संख्या 16 से 19 के कार्यो को सभी वार्डो में कार्य की प्राथमिकता को को देखते हुए सम्बन्धित निर्वाचित सदस्य के सुझाव से आवश्यक्ता के आधार पर कराया जाएगा। बोर्ड ने अध्यक्ष के इस सुझाव से भी सहमति व्यक्त की कि कार्यालय द्वारा जो भी कार्य निष्पादित किया जाए वह समग्र रुप से किया जाना चाहिए बिना किसी वार्ड की सीमा को ध्यान मे लिए उस कार्य को पूरी तरीके से निष्पादित किया जाना चाहिए। बोर्ड ने यह भी संकल्प लिया कि कार्यसूची मे शामिल क्रम संख्या 19 के कार्य उपलब्ध धन के आधार पर कराया जाए जैसा कि दो लाख बजाए तीन लाख का प्रत्येक वार्ड हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।.

80. **<u>गाँधी बाग में सुधार</u>**

बोर्ड एक सार्वजनिक उद्यान गाँधी बाग जिसका कुल क्षेत्रफल 22 एकड है का रखरखाव करता है। बोर्ड द्वारा गार्डन की सुविधा छावनी की ही नही बल्कि पूरे मेरठ शहर की जनता को उपलब्ध कराई जा रही है। बाग में विभिन्न प्रकार की 20,000 से अधिक पौधे/झाडियां है। बाग में अभी भी प्रात एवं सायं घूमने वाले एवं अन्य आगंतुक पूरे दिन आते है। बाग छावनी के प्र्यावरण को बढाता है एवं साथ ही छावनी में हरियाली एवं प्र्यावरण की तरफ काफी योगदान देता है। बाग मे अन्य सुविधाओं के साथ एक बाल उद्यान, टेराकोटा पार्क, खेल का मैदान, संगीतीय फववारा है। हाल के वर्षो में कठोर वित्तीय कमी के बावजूद, बोर्ड बाग की शोभी एवं प्रतिष्ठा का रखरखाव करने मे सक्9 कइस9 हाल ही मे एक प्रवेश शुल्क रू 5/– प्रति आगंतुक प्रतिदिन लगाया गया है जिससे बोर्ड को औसतन रु 1500 से 2000 तक प्राप्ति हो रही है।

जनता से प्राप्त प्रतिक्रिया एवं मांग को देखते हुए आगंतुकों को और सुविधाएं देने/उपलब्ध कराने के लिए बाग मे निम्न आरंभ किए जाएं:–

क. झील का विकास कर नौका विहार सेवा रु 20/– 10 मिनट की यात्रा प्रति व्यक्ति की दर से उपलब्ध कराई जाए। इससे आगंतुकों को न केवल मनोरंजन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी अपितु बोर्ड को राजस्व भी उपलब्ध होगा।

ख. आगंतुकों को बैटरी संचालित रिक्षा से बाग की भ्रमण फेरी हेतु रु 20/– प्रति फेरी प्रति व्यक्ति की दर से शुरू की जाए।

ग. संगीतीय फववारे का सुधार कर विभिन्न प्रकार के नृत्य जल नॉजिल्स लगाए एवं उसके पश्चात रु 10/– प्रति व्यक्ति का शुल्क लगाया जाए।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले। संशोधित बजट 2015–16 मे बजट व्यवस्था बनाई गयी है।

80. संकल्प

विचार कर रू 5/– प्रति आगंतुक प्रति दिन के प्रवेश शुल्क को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया जो कि एक राजस्व बढोत्तरी का प्रयास है एवं बोर्ड को इससे प्रतिवर्ष लगलग रू 36 लाख मिलने की अपेक्षा है। क्रम संख्या (ए) एवं (बी) पर प्रस्तावित विकास कार्यों को भी अनुमोदित किया गया एवं मु.अ.अ को आवश्यक उपकरण की खरीद हेतु अधिकृत किया गया। खरीदे जाने वाले उपकरणों का विवरण एवं आंकलन/निविदा आदि बोर्ड के समक्ष लाए जाए। सुरक्षा दिशा निर्देशों को देखते हुए सूचीबद्ध कार्यों के आवश्यक नियम एवं शर्तें भी बनाई जाए। क्रम संख्या (सी) के सम्बन्ध मे शुल्क केवल आवश्यक सुधार करने के पश्चात ही लगाया जाएगा, क्रम संख्या (ए) एवं (बी) के उन कार्यों के बाद।

विचार विमर्श के दौरान मॉल रोड की ओर गाँधी बाग के गेट को खोलने/बंद करने का मुदद्ा भी उठा। मु.अ.अ ने बताया कि गेट निर्धारित समय पर खोला एवं बंद किया जाता है परन्तु वाहन पार्क करने की अनुमति नही है क्योंकि पार्क किए गए वाहन कारण सुबह के समय मॉल रोड के खुलने के पश्चात वाहनों के आवागमन मे अवरोधक होंगे। बोर्ड ने निर्णय लिया कि यह जारी रखा जाए एवं वाहनों को मॉल रोड पर गाँधी बाग के सामने या आसपास वाहनो को खडा करने की अनुमति नही होगी।

81. **<u>आबुलेन पार्किंग।</u>**

संदर्भ : छा0बो0स0 49 दिंनाक 16.09.2015.

पूर्वकथित छा0बो0स0 के अनुसार, कार्यालय ने आवश्यक कार्यवाही की एवं आबुलेन के दोनो ओर पार्किंग रोक दी गई एवं केन्द्रीय वर्ज, सौर लाईटों को विकास किया एवं क्षेत्र के सौदर्यकरण के लिए फववारा भी रखा गया। पार्किंग स्लॉटः–

1. वर्धमान कॉम्पलेक्स के पीछे
2. काठ के पुल से योर्गेन्द्र हॉट
3. काठ के पुल से आबुलेन
4. बंग्ला संख्या 173
5. काठ के पुल से वोलगा तक

इन जगहों पर पार्किंग विनियमित कर दी गई है।

अध्यक्ष छावनी परिषद् से परामर्श से दीवाली त्यौहार तक अंतरिम उपाय के रुप मे आबुलेन को सायं 5:00 से सायं 9:00 बजे तक वॉकिंग प्लाजा के रुप मे विनियमित कर दिया गया है। वाहनीय यातायात यंत्रण पर दीवाली त्यौहार के पश्चात पुनः विचार किया जाएगा। छावनी परिषद् पिछले 03 माह से आबुलेन पर यातायात नियंत्रण हेतु स्टाफ नियुक्ति से रू 4.5 लाख का व्यय झेल रहा है। बोर्ड के आबुलेन से पार्किंग सीानांतरित करने के निर्णय एवं पार्किंग संविदा के समाप्त होने के पश्चात आबुलेन की पार्किंग साईट से बोर्ड को प्रतिवर्ष होने वाली रू 6.5 की आय समाप्त हो चुकी है।

(क) अब, केन्द्रीय वर्ज के विकास व पूर्वोकत छा0बो0स0 के परिपालन के पश्चात एवं उपरोक्त स्थिति एवं जनता की प्रतिक्रिया को देखते हुए, यह प्रस्ताव दिया जाता है कि 04 पार्किंग साईटों की नीलामी कर देनी चाहिए (वर्धमान कॉम्पलेक्स के पीछे वाली पार्किंग जो व्यापारियों के लिए निःशुल्क है को छोडकर)। पार्किंग शुल्क बोर्ड द्वारा पूर्व मे अनुमोदित दरों के समान निम्न होंगेः–

1. कार – रू 20/– 2 घंटो के लिए।

2. दो पहिया — रू 10/— 2 घंटो के लिए।
3. साईकिल — रू 5/— 2 घंटो के लिए।

उक्त प्रस्ताव पर अध्यक्ष छावनी परिषद से प्राप्त सहमति के अनुसार अखबार मे विज्ञापन छपवाया गया। प्राप्त निविदा बोर्ड के समक्ष यथासमय प्रस्तुत किए जाएंगे।

इसके साथ साथ ,आबुलेन के प्रवेश पर (बेगम पुल की तरफ से) अमृत होटल के पीछे आबुलेन की पार्किंग आवश्यक्ता का प्रबंध करने के लिए एक अन्य पार्किंग स्थान भी विकास किया जा रहा है। यह स्थान अतिक्रमण के मुक्त करने एवं इसका विकास करने के पश्चात पार्किंग उद्देश्य के लिए नीलाम कर दिया जाएगा। लगभग 12.38 रूप्ये के आंकलन भी अनुमोदित होने की जरूरत है। बजट प्रावधान डी–2(एफ) मद्व के अंतर्गत उपलब्ध है।

(ख) आबुलेन प्लाजा लेन मे एक फववारा के विकास किया गया है। यह प्रस्ताव दिया जाता है कि केवल फाउंटेन राउंडल की हॉरडिंग अधिकारों के लिए नीलामी कर दी जाए, जिसके अंतर्गत अनुमोदित ठेकेदार अनुबंध की अवधि के दौरान आबुलेन के सम्पूर्ण केन्द्रीय वर्ज से साथ सौर लाईटों, डिवाईडर्स, पेडों, पौधों अन्य की देखरेख करेगा एवं उन्हे अच्छी अवस्था मे रखेगा। लगाए जाने वाले होर्डिंग्स आकर्षक एवं बाजार के माहौल से मिलते हुए होंगे। अनुमोदित ठेकेदार को फाउंटेन राउंडल के अलावा कही भी होर्डिग्स लगाने की अनुमति नही होगी।

बोर्ड अत्याधिक कमी मे है एवं वित्तीय स्थति बहुत खराब है। सीानीय संसाधानों के माध्यम से राजस्व बढाने की तुरन्त आवश्यक्ता है। यह प्रस्ताव दिया जाता है कि राजस्व बढाने के लिए नए होर्डिग्स जगहों को बढाए एवं नीलामी कर दी जाए। आबुलेन के आसपास की जगहों पर नीलामी से हॉर्डिग्स अधिकारों के आवंटन के लिए सदस्यगण सुझाव दे सकते है। दिल्ली की तर्ज पर हॉर्डिग्स अधिकारों के लिए मूत्रालयों एवं जन समूह शौचालयों पर विचार किया जा सकता है। यह कार्य क्षेत्र को फेशियल उत्थान भी प्रदान करेगा।

81. संकल्प

बोर्ड ने छा0बो0स0 49 दिंनाक 16.09.2015 एवं बोर्ड/अध्यक्ष छावनी परिषद् द्वारा लिए गए पिछले निर्णयों के अनुपालन मे किए गए विकास कार्यों पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। मु.अ.अ ने स्पष्ट किया कि ''वॉकिंग प्लाजा'' एक मिथ्या शब्द है एवं वास्तव मे, आबुलेन पर सायं 5 से 9 के दौरान कोई पार्किंग स्थल नही बनाया गया जिसे गलत समझा गया एवं वाकिंग प्लाजा का नाम दिया गया। बोर्ड ने इसे नोट किया। बोर्ड ने कार्यसूची मे अंकित पार्किंग स्थलों के अधिकारों की नीलामी पर भी विचार किया गया एवं यह भी नोट किया गया कि यह कमाई का नया श्रोत होने के साथ साथ आबुलेन पर पार्किंग नियमित करने का भी एक प्रयास होगा। बोर्ड ने अमृत होटल के पीछे अतिक्रमण हटाने के पश्चात पार्किंग स्थल बनाने के लिए भी मु.अ.अ को अधिकृत किया।

यह भी अनुमोदित किया गया कि नए निर्मित फव्वारों को कार्यसूची मे दी गई शर्तों के आधार पर जैसा सीईओ के द्वारा उचित समझा जाए को भी नीलामी पर दिया जाए। बोर्ड ने आगे निर्णय लिया कि राजस्व बढाने के लिए, मूत्रालयों एवं ज.स.शयों को सार्वजनिक नीलामी के द्वारा होर्डिग्स लगाने के लिए आवंटित कर दिए जाए। राजस्व बढोत्तरी के लिए ऐसी और जगहों को तलाशा जाए एवं सार्वजनिक नीलामी के द्वारा होर्डिग्स अधिकारों का कार्यालय द्वारा आवंटन किया जाए।

82. <u>माह अगस्त 2015 के मासिक लेखे : 2015–16</u>

माह अगस्त 2015 की प्राप्ति एवं व्यय के लेखे विचार एवं अनुमोदन हेतु।

प्राप्ति

अगस्त 2015 के प्रथम दिवस का प्रारंभिक शेष		**रु 9,97,215**
अगस्त 2015 के दौरान प्राप्ति		**रु 9,00,60,127**
	योग	**रु 9,10,57,342**
अगस्त 2015 के दौरान खर्च		रु 6,29,50,772

अंतिम शेष

अगस्त 2015 के अंतिम दिवस का क्लोजिंग बैलेंस	**रु 2,81,06,570**

पेंशन निधि

अगस्त 2015 के प्रथम दिवस का प्रारंभिक शेष		रु 16,417.53
अगस्त 2015 के दौरान जमा		रु 163,69,031.00
	योग	**रु 1,63,85,448.53**
अगस्त 2015 के दौरान खर्च		रु 142,62,563.00
अगस्त 2015 के अंतिम दिवस का क्लोजिंग बैलेंस		रु 21,22,885.53
	योग	**रु 163,85,448.53**

<u>फंड का निवेश</u>

प्रारंभिक शेष	रु 2,19,97,362/–*
* जलापूर्ति परियोजना हेतु विशेष अनुदान	
अगस्त 2015 के दौरान नकद/निवेश	शून्य
अगस्त 2015 के अंतिम दिवस का शेष	रु 2,19,97,362/–

माह अगस्त 2015 के दौरान हुए खर्च एवं प्राप्ति का मद्दवार सार पटल पर प्रस्तुत है।

सभी वाउचरर्स, बिल, रोकड बही, एवं मासिक लेखे पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर अनुमोदित करें।

82. संकल्प

नोट एवं अनुमोदित किया गया।

83. <u>माह सितम्बर 2015 के मासिक लेखे : 2015–16</u>

माह सितम्बर 2015 की प्राप्ति एवं व्यय के लेखे विचार एवं अनुमोदन हेतु।

प्राप्ति

सितम्बर 2015 के प्रथम दिवस का प्रारंभिक शेष		**रु 2,81,06,570**
सितम्बर 2015 के दौरान प्राप्ति		**रु 1,45,18,596**
	योग	**रु 4,26,25,166**
सितम्बर 2015 के दौरान खर्च		रु 3,50,58,555

अंतिम शेष

सितम्बर 2015 के अंतिम दिवस का क्लोजिंग बैलेंस	**रु 75,66,611**

पेंशन निधि

सितम्बर 2015 के प्रथम दिवस का प्रारंभिक शेष		रु 21,22,885.53
सितम्बर 2015 के दौरान जमा		रु 31,00,000.00
बचत खाते मे अर्द्धवार्षिक ब्याज		रु 34,603.00
	योग	**रु 52,57,488.53**
सितम्बर 2015 के दौरान खर्च		रु 51,60,363.10
सितम्बर 2015 के अंतिम दिवस का क्लोजिंग बैलेंस		रु 97,125.43
	योग	**रु 52,57,488.53**

<u>फंड का निवेश</u>

प्रारंभिक शेष	रु 2,19,97,362/–*
* जलापूर्ति परियोजना हेतु विशेष अनुदान	
सितम्बर 2015 के दौरान नकद/निवेश	शून्य
सितम्बर 2015 के अंतिम दिवस का शेष	रु 2,19,97,362/–

माह सितम्बर 2015 के दौरान हुए खर्च एवं प्राप्ति का मद्दवार सार पटल पर प्रस्तुत है।

सभी वाउचरर्स, बिल, रोकड बही, एवं मासिक लेखे पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर अनुमोदित करें।

83. संकल्प

नोट एवं अनुमोदित किया गया।

84. **श्री विनोद शर्मा, प्रवक्ता, सी0ए0बी इण्टर कॉलेज द्वारा सीएफएसआर, 1937 के नियम 13 के अन्तर्गत अधिमानित अपील।**

संदर्भ : छावनी बोर्ड संकल्प संख्या 62 दिंनाक 16.09.2015.

श्री विनोद शर्मा, प्रवक्ता, सी0ए0बी इण्टर कॉलेज द्वारा सीईओ द्वारा लगाए गए दंड के विरुद्ध सीएफएसआर, 1937 के नियम 13 के अंतर्गत अधिमानित अपील दिंनाक 29.07.2015 पर विचार करने हेतु।

बोर्ड को सूचनीय है कि श्री विनोद शर्मा, प्रवक्ता रसायन, सीएबी इण्टर कॉलेज, मेरठ छावनी के विरुद्ध सीएबी इण्टर कॉलेज मे पढ रहे छात्रों के शोषण के सम्बन्ध में एक शिकायत दिंनाक 08.05. 2015 को प्राप्त हुई थी। सीईओ ने मामले की जांच की एवं श्री विनोद शर्मा को एक कारण बताओं नोटिस जारी किया। श्री विनोद शर्मा द्वारा प्रेषित उत्तर दिनांक 15.06.2015 सीईओ द्वारा संतोषजनक नही पाया गया एवं व्यक्ति पर आदेश दिंनाक 02 जुलाई 2015 के माध्यम से संचित प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि रोकने का दंड दिया।

उपरोक्त अपील दायर करने के साथ साथ, व्यक्ति ने माननीय उच्च न्यायालय, इल्हाबाद के समक्ष सीएमडब्लूपी संख्या 48702/2015, विनोद शर्मा बनाम कैन्ट बोर्ड एण्ड अदर्स के माध्यम से आदेश दिनांक 02 जुलाई 2015 को चुनौती दी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने दायर अपील अपने आदेश दिंनाक 01.09.2015 के माध्यम से यह कहते हुए खारिज कर दी कि सेवा नियमों के अंतर्गत अपील एवं द्वितीय अपील का उपाय उपलब्ध है एवं याचिकाकर्ता ने पहले ही अपील दायर कर दी है अतः, दायर अपील पोषणीय नही है, तथापि, न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि आदेश दिंनाक 01. 09.2015 की सत्यापित प्रति जारी होने की तिथि से जितने अविलम्भ से 03 माह के अंदर सम्भव हो सके बोर्ड द्वारा प्रथम अपील निर्णय लिया जाए।

सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड यदि आवश्यक माने तो अपील की व्यक्तिगत सुनवाई हेतु तारिख तय करें एवं अपील पर आवश्यक आदेश पारित करे।

84. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि अपील बोर्ड द्वारा संगठित शिक्षा समिति के पास सुनवाई एवं संस्तुति हेतु सौप दी जाए। शिक्षा समिति की संस्तुति बोर्ड के समक्ष रखी जाए।

85. मेरठ छावनी मे नालियों तथा अन्य बहने वाली गंदगी के साथ गंध शाोधन हेतु सीवर एसटी पी/ईटीपी की प्रस्तावित योजना।

संदर्भ : छावनी परिषद संकल्प संख्या 109 दिंनाक 26.11.2013 तथा संकल्प संख्या 297 दिंनाक 28.07.2014.

छावनी परिषद् ने सदंर्भित संकल्प दिनाक 26.11.2013 के अंतर्गत मै0 सनरीन डिजाईनर्स प्रा0 लि0 दिल्ली जो दक्ष एजेंसी है को विषयगत कार्य के र्प्यवेक्षण एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु सेवाएं दी थी। उक्त फर्म ने सर्वे किया और सर्वे के आधार पर वार्ड संख्या 04, 05 एवं 06, सदर बाजार का चयन इस महती परियोजना ईटीपी/एसटीपी सीवर लाईनों के जाल के साथ साथ बनाने का तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की। बोर्ड ने संकल्प दिंनाक 28.07.2014 के अंतर्गत विचार किया तथा परामर्श दाता फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदित कर दिया।

तद्वनुसार विस्तृत प्रस्ताव पंत्राक 164/ई–5/412 दिंनाक 15.09.2014 के द्वारा सक्षम अधिकारी को भेज दिया गया।

उक्त प्रस्ताव प्रधान निदेशक, रक्षा सम्पदा, मध्य कमान के पत्रांक 43376/एमआरटी/(2)/2014–15/एलसी5 दिंनाक 29.11.2014 के द्वारा संस्तुतियों सहित महानिदेशक रक्षा सम्पदा को अग्रसारित कर दिया गया। उस पर अग्रेतक कार्यवाही की जा रही है और मुख्य अधिशासी अधिकारी ने जल्द स्वीकृति हेतु निवेदन किया है, इस समय प्रस्ताव महानिदेशक, रक्षा सम्पदा कार्यालय द्वारा जांचा जा रहा हैं। उक्त प्रस्ताव पर अतिरिक्त महानिदेशक रक्षा सम्पदा, उप–महानिदेशक, रक्षा सम्पदा से मुख्य अधिशासी अधिकारी तथा सहायक अभियंता एवं बोर्ड की परामर्शदाता संस्था के साथ दिंनाक 19.10.2015 को कार्यलय महानिदेशक, रक्षा सम्पदा, नई दिल्ली ने अग्रिम कार्यवाही हेतु मामले पर विचार विमर्श किया है।

चर्चा के दौरान निम्नलिखित बिंदु सामने आए है जिनका निराकरण होना है :–

क) प्रस्ताव वर्ष 2014 मे वित्तीय विवरण वर्ष 2013–14 के साथ भेजा गया था, अब क्योकि यह प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2015–16 मे क्रियान्वित हो रहा है इसलिए वित्तीय वर्ष 2014–15 का आय व्यय का ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

ख) मूल प्रस्ताव मे यह दर्शाया गया है कि बनने वाले संस्थान को उपलब्ध वित्तीय व्यवस्था /श्रोतों के माध्यम से छावनी परिषद् के द्वारा देख–रेख की जाएगी। छावनी परिषद्, मेरठ घाटे मे चलने वाला बोर्ड है इसलिए होने वाले देखभाल के खर्चे और बोर्ड की परियोजना को पूरा करने हेतु इस्तेमाल करने के लिए चार्ज/फीस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

ग)सलाहाकार ने यह भी अवगत कराया है कि मेरठ छावनी की भगौलिक स्थिति को देखते हुए कई स्वतंत्र योजनाएं भी सीपित करने की आवश्यक्ता है। यह भी अवगत कराना है कि बोर्ड ने चिन्हित क्षेत्रों मे स्वतंत्र योजना बनाना प्रस्तावित किया है।

ध) प्रवाहित आबादी जो मिश्रित भूमि प्रयोग क्षेत्र मे है उसपर भी विचार किया जाना चाहिए।

तद्वनुसार उपरोक्त बिंदु संख्या क, ग एवं ध का उत्तर कार्यालय द्वारा दिया जा रहा है। बिंदु संख्या ख उपरोक्त के सम्बन्ध मे आंकलन के आधार पर रखरखाव के खर्च का ब्यौरा निम्न प्रकार दिया हैः–

परियोजना को चलाने हेतु कुल व्यय	=	4.82 प्रति घन मीटर प्रतिदिन
वर्तमान मे परियोजना के अंदर लगभग तीन हजार चलती फिरती आबादी को उपभोगता बताया है अतः आने वाला खर्च वर्तमान मे	=	1687/– प्रतिदिन
प्रतिमाह वर्तमान दर पर आने वाला खर्चा 1687X30	=	50610/–
उपरोक्त लागत मे रखरखाव के लिए 10प्रतिशत	=	5061/–
उपरोक्त लागत मे मानवश्रम के लिए	=	55000/–
वर्तमान मे प्रतिमाह कुल लागत	=	105610/–
कुल लागत प्रति उपभोगता प्रति माह	=	35.20/–
कुल लागत प्रति उपभोगता प्रति वर्ष	=	422.40/–

यदि उपरोक्त बनने वाली सम्पत्ति का खर्च उपलब्ध संसाधनों से किया जाना है तो निम्निलिखित पर ध्यान देना हैः–

सलाहकार ने एसटीपी चालू होने वाले साल मे ही वसूली करने हेतु प्रस्ताव किया है कि 35.20/– प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह फीस लगानी होगी। इसके अतिरिक्त एक बार क्नेक्शन फीस अंकन 1500/– की दर से प्रत्येक उपभोक्ता से लेने होंगे इसके अतिरिक्त क्नेक्शन लगाने के कार्य पर होने वाले खर्च के ब्यौरे के आधार पर (सामाग्री एवं मजदूरी) का भी भार सीवर लाईन लगाने हेतु उपभोगता को उठाना होगा। यह सभी खर्चे उपभोगता को वहन करने होंगे

यदि इसके रखरखाव को बोर्ड करना उचित नही पाता है तो सारी परियोजना पूरी होने के बाद इसको बाहरी एजेंसी को देना होगा।

यदि इसका रखरखाव बाहरी एजेंसी के द्वारा किया जाता है तो उपरोक्त के अतिरिक्त 15 प्रतिशत अतिरिक्त कीमत आउटसोर्स/फर्म को भुगतान करनी होगी, प्रस्तावित फीस अंकन 40.50/– (35.20/– + 15 प्रतिशत अर्थात 5.28 = 40.28/– यानि 40.50/–) प्रति उपभोगता प्रतिमाह के आधार पर एसटीपी चालू होने वाले वर्ष से लागू करना होगा। प्रत्येक उपभोगता से एक बार लिया जाने वाला खर्च वही रहेगा।

सलाहाकार की विस्तृत रिपोर्ट के साथ सम्बन्धित पत्रावली पटल पर प्रस्तुत है।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

85. संकल्प

मुख्य अधिशासी अधिकारी ने बोर्ड द्वारा प्रस्तुत की गई सीवेज परियोजना जो उच्च अधिकारियों को स्वीकृति के लिए भेजी गई है की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। अध्यक्ष ने भी इसी प्रकार की परियोजना का निष्पादन सेना के लिए छावनी मे किया जा रहा है इससे अवगत कराया और कुछ सुझाव दिए जिन्हे बोर्ड ने स्वीकार किया।

बोर्ड ने संक्षिप्त विवरण जो कार्यसूची मे दिया गया है को नोट कर स्वीकृत किया और यह संकल्प लिया कि परियोजना लागू होने के बाद कार्यसूची मे दी गई दरों एवं विवरण के आधार पर बाह्य संस्था से कराए जाने की आवश्यक्ता होगी क्योकिं बोर्ड वर्तमान मे कार्यरत कर्मचारियों तथा वित्तीय कारणों से इसे नही चला पाएगा। संकल्प लिया कि उपरोक्त के आधार पर अधिकारियों को अवगत कराते हुए मामला उनके समक्ष रखा जाए।

86. मेरठ छावनी मे मोबाईल टॉवर/एंटिना के द्वारा संचार का सुधार।

संदर्भ : छा0बो0स0 560 दिंनाक 29/30.05.2008, छा0बो0स0 221 दिंनाक 25.10.2010, छा0बो0स0 283 दिंनाक 09.06.2014, छा0बो0स0 255 दिंनाक 27.09.2014 एवं छा0बो0स0 32 दिंनाक 26.12.2015।

महानिदेशालय, रक्षा सम्पदा के पत्र संख्या 54533/एलसी–2 दिंनाक 17.08.2010 एवं भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 11026/1/2005/डी (भूमि) दिंनाक 12.09.2008 के माध्यम के प्राप्त निर्देशों के कथित रुप के अनुपालन में मेरठ छावनी मे मोबाईल संचार टॉवर्स लगाने के लिए भूमि एवं जगह उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर पुनः विचार करने हेतु। प्रक्रिया में बोर्ड ने संदर्भित छा0बो0स के माध्यम से एक बार अधिशुल्क एवं पटटा शुल्क के लिए प्रस्ताव/बोली आमंत्रित की थी।

कार्यालय एवं संदर्भित छा0बो0स0 द्वारा की गई कार्यवाही का उपरोक्त प्रसारित निर्देशों के आलोक में पुनः अवलोकन/पुनःपरीक्षण किया गया। यह देखा गया कि नीति दिंनाक 12.09.2008 उपलब्ध कराती है 16 कइस उददे्श्य के लिए भूमि व्यवसायिक पटटे् पर दी जा सकती है। एक से

अधिक संचार ऑपरेटर पटट्े के लिए आवेदन करते है तो ऐसे मामले में, सूचना एवं संचार मंत्रालय द्वारा मनोनीत संचार ऑपरेटर को तरजीह दी जाएगी या आवेदन निविदा नोटिस के माध्यम के आमंत्रित किए जाएंगे एवं ड्रॉ के माध्यम से केवल के संचार ऑपरेटर चुना जाना चाहिए। अतः बोर्ड द्वारा संदर्भित छा0बो0स के अनुसार बिडस आमंत्रित करने से नीति निर्देशों का अनुपालन नही हो सकेगा। अतः सम्पूर्ण प्रकिया छोडने की आवश्यक्ता है।

86. संकल्प

मु.अ.अ ने बोर्ड को मौजूदा नीति एवं नीति के साथ अपनाए गई प्रकिया से होने वाली विसंगति /गैर अनुरुपता के बारे मे बताया। बोर्ड ने विचार कर अब तक अपनाई गई पूर्ण प्रकिया को रोक दिया जाए। ठेकेदार/बोलीकर्ता से प्राप्त बोलियों में यदि कोई एफ.डी.आर/सिक्योरिटी डिपोजिटस प्राप्त हुई है तो वह वापस कर दी जाए। श्री विपिन सोढी ने कहा कि मेरठ छावनी मे संचार टॉवरों को लगाने की प्रक्रिया की सरकार की नीति दिंनाक 12.09.2008 के आलोक मे पुनः जांच की जाए। मु.अ.अ ने सूचित किया कि सरकार की नीति दिंनाक 12.09.2008 के अनुपालन मे की की गई कार्यवाही के बारे मे बोर्ड को यथासमय अवगत करा दिया जाएगा।

87. अवैध कब्जे के लिए डेमेज चार्जज की दरों का लगाना।

वर्तमान मे, बोर्ड द्वारा रक्षा भूमि (छावनी परिषद् के प्रबंधन मे) पर अवैध कब्जों से हर्जाना वसूली के लिए कोई भी दर तय नही की गई है। यह प्रस्ताव दिया जाता है कि इस उददेश्य के लिए निम्न दरें तय कर दी जाएः–

क) छावनी मे किसी भी जगह अवैध कब्जे के लिए कब्जे के प्रथम 30 दिनों के लिए रू 25/– प्रति दिन।

ख) तत्पश्चात रू 50/– प्रतिदिन

प्रस्तावित दरों मे भूमि की किसी भी प्रकार की अनुमति एवं प्रभारों की वसुली शामिल नही है। यह दरें केवल सरकारी भूमि (छावनी परिषद् के प्रबंधन मे) पर पाए जाने वाले अवैध कब्जों के मामलों पर लागू होंगी।

बोर्ड विचार कर निर्णय ले।

87. संकल्प

विचार कर निर्णय लिया गया कि रक्षा भूमि (छावनी परिषद् के प्रबन्धन मे) के अवैध कब्जे एवं उसके इस्तेमाल के लिए निम्न डैमैज शुल्क की दरें लगाई जाती हैः–

क) छावनी मे कहीं भी अवैध कब्जे के लिए कब्जा करने के प्रथम 30 दिनों के लिए रू 25/– प्रति वर्ग फीट प्रतिदिन लगाये गये।

ख) उस अवधि के पश्चात रू 50/– प्रति वर्ग फीट प्रतिदिन।

उक्त चार्जस 01.11.2015 से लागू होंगे। जनता की जानकारी हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए कि सरकारी भूमि के अतिक्रमणकारी अतिक्रमण को हटाने एवं कानून के अनुसार हटाने हेतु प्रतिपूर्ति शुल्क व अन्य अभियोग की कार्यवाही के साथ साथ इस जुर्माने का भी सामना करेंगे। श्री विपिन सोढी एवं श्री धर्मेन्द्र सोनकर निर्णय से असहमत थे।

88. दीवाली त्यौहार पर आग वाले पटाखों को प्रतिबंधित/हतोत्साहित करने व मिटटी के दियों के प्रयोग को बढावा देना।

प्र्यावरण एवं उर्जा को बचाने के बोर्ड के मिशन के भाग के लिए यह प्रस्ताव दिया जाता है कि आग के पटाखों के अधिक प्रयोग से होने वाले बुरे प्रभाव से होने वाले वायु एवं ध्वनि प्रदुषण से प्र्यावरण एवं जनता की शांति को पहुंचने वाली क्षति के सम्बन्ध मे सदस्यगण छावनी आबादी के बीच मे जागरूकता फैलाने का संकल्प ले। उसी प्रकार, सदस्यगण अपील के द्वारा दीवाली जो कि दियों का त्यौहार है पर छावनी निवासियों को बिजली आधारित साज सज्जा के बजाए हाथ से बने/मिटट्री के दियों का संभव व्यापक प्रयोग करने के लिए बढावा दे। यह प्रयास बिजली की बचत के अतिरिक्त हाथ से बने दियों के छोटे विक्रेताओं की भी मदद करेगा। दीवाली के उपलक्ष पर 8 नवम्बर से 13 नवम्बर 2015 के दौरान छावनी के विभिन्न जगहों मे हाथ से बने दियों एव अन्य प्र्यावरण मित्र आवश्क्ताओं की बिक्री के लिए इच्छुक विक्रेताओं को निःशुल्क अनुमति देने पर भी विचार किया जाए।

88. संकल्प

बोर्ड ने मिटट्री के दियों के प्रयोग को बढावा देने के प्रस्ताव का स्वागत किया। निर्णय लिया गया कि दीवाली त्यौहार पर जनता को आग के पटाखों को प्रतिबंधित/हतोत्साहित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। दीवाली के उपलक्ष पर 8 नवम्बर से 13 नवम्बर 2015 के दौरान छावनी के विभिन्न नागरिक क्षेत्रों मे हाथ से बने दयों एव अन्य प्र्यावरण मित्र आवश्क्ताओं की बिक्री के लिए छोटे विक्रेताओं को अनुमति दी गई।

89. शुद्धि पत्र

संदर्भ : छा0बो0स संख्या 9 दिंनाक 16.09.2015।

वित्त समिति में सदस्य के रुप मे श्री अनिल जैन के स्थान पर श्री नीरज राठौर के नाम को नोट एवं अनुमोदित करने हेतु।

89. संकल्प

नोट एवं अनुमोदित किया गया।

90. संकल्प

अध्यक्ष, छावनी परिषद् ने बोर्ड की जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया :–

1. किसी दुर्घटना से बचने हेतु, जर्जर अवस्था वाले पुराने भवनों के अधिभोगियों को उनकी मरम्मत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

2. मेरठ छावनी के सभी खोए/जर्जर बाऊंड्री पिलरों की मरम्मत कराई जाए एवं इस उददेश्य के लिए केन्द्र सरकार के विनिर्देशों के अनुसार विस्तृत आंकलन एवं डिजाईनस अवलोकन हेतु अगली बोर्ड बैठक मे रखे जाए।

3. सेना ने अवांछनीय एवं असामाजिक तत्व जिन्हे सैन्य क्षेत्र/नागरिक क्षेत्र के ओ.जी.बी. एवं सर्वेन्ट क्वार्टरों मे आसरा मिला हुआ है को खोजने के लिए एक अभियान शुरु किया है। उन्होने कहा कि नागरिक क्षेत्र के लिए सयुंक्त मु.अ.अ. की अगुआई मे एक टीम का गठन किया जाए। इस कार्य मे सदस्यों को राष्ट्रहित मे सहयोग करना चाहिए जिससे कि छावनी एक शांतिपूर्ण सुरक्षा क्षेत्र बन सके।

4. अध्यक्ष छावनी परिषद् द्वारा उठाए गए मुददे् नोट किए गए। मु.अ.अ उनके अनुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगें।

कार्यबिंदु 76 अवलोकन हेतु अब लिया गया।

76. संकल्प

सीईओ ने बोर्ड को सूचित किया कि छा0बो0स0 संख्या 60 दिंनाक 16.09.2015 के अनुपालन मे श्री प्रंशात माथुर, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद मे छावनी परिषद् एवं भारत सरकार के स्थायी अधिवक्ता से कानूनी सलाह मंगायी गई। अधिवक्ता ने सुझाया कि सीएफएसआर 1937 के नियम 7(2)(ए) एवं छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 25(सी) के आलोक मे, अपने कर्मचारियों को कार्यभार देने के लिए मु.अ.अ सक्षम है। अधिवक्ता ने यह भी सुझाया कि माननीय उच्च न्यायालय सीएमडब्लूपी संख्या 70147/2013 मे अपने आदेश मे हस्तक्षेप कर कहा है कि अधिकारिक से काम लेने या न लेने के सम्बन्ध मे एकमात्र विशेषाधिकार सक्षम अधिकारी को है एवं आदेश बोर्ड को अपने पिछले निर्णय की समीक्षा करने के लिए प्रतिबंध नही करता है। अंत मे उन्हाने सुझाया कि सीएफएसआर 1937 के नियम 7(2)(ए) एवं छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 25(सी) के अंतर्गत सक्षम अधिकारी अपनी शक्ति से निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है।

सदस्यों ने मामले पर विस्तृत विचार विमर्श किया। श्री विपिन सोढी ने उनके द्वारा अलग अलग वकीलों से मंगाए गए 02 कानूनी राय सौंपी गई जिसमे उन्होने बताया कि वे स्थायी अधिवक्ता श्री प्रंशात माथुर की कानूनी सलाह का खंडन करती है। श्री सोढी ने मामले को टालने के कहा। मु.अ.अ ने श्री विपिन सोढी द्वारा प्रेषित कानूनी सलाहों के लिए कहा कि यह विचारणीय नही है क्योंकि बोर्ड ने श्री सोढी को कभी ऐसी कानूनी सलाह मंगाने के लिए अधिकृत नही किया। कार्यालय को संकल्पों/निर्णयों को लागू कराना है एवं कानूनी सलाह मंगाने के लिए एक विशिष्ट संकल्प था। अतः, बिना वैध अधिकार के बोर्ड के समक्ष उनका कोई महत्तव एव प्रासंगिकता नही है एवं वह अभिलेख मे नही लिए जा सकते।

अध्यक्ष छावनी परिषद् ने कहा कि मामले पर बोर्ड ने पूर्व मे पर्याप्त विचार विमर्श किया है एवं पिछली बैठक मे क्या निर्णय लिया गया है वह विशिष्ट मुददा था जिसपर अधिवक्ता से कार्यालय द्वारा कानूनी सलाह मंगाई जा चुकी है एवं जो कि बोर्ड के समक्ष अब मामला है एवं बोर्ड को मामले पर अंतिम निर्णय लेना है।

श्रीमती बीना वाधवा, उपाध्यक्ष ने कहा कि मामला अनावश्यक घसीटा जा रहा है एवं अब जब कि कानूनी सलाह बोर्ड के समक्ष है, उस पर विचार किया जाना चाहिए एवं तद्वनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए। श्रीमती रिनी जैन, श्रीमती बुशरा कमाल, श्रीमती मंजू गोयल, श्री नीरज राठौर एवं श्री अनिल जैन का समान नजरिया था। उपाध्यक्ष श्रीमती बीना वाधवा के कहने पर मामला बोर्ड के समक्ष रखा गया एवं श्री विपिन सोढी व श्री धर्मेन्द्र सोनकर को छोडकर सभी सदस्यों ने, कानूनी सलाह के अनुसार कार्यवाही के पक्ष मे मत दिया। संकल्प 10:2 मत के द्वारा किया गया।

श्रीमती बीना वाधवा ने एक पत्र दिया जिसमें 05 सदस्यों जिनके नाम है श्रीमती रिनी जैन, श्रीमती बुशरा कमाल, श्री नीरज राठौर एवं श्रीमती मन्जू गोयल के हस्ताक्षर थे। श्री विपिन सोढी एवं

श्री धर्मेन्द्र सोनकर ने अपनी असहमति दी। दोनो को संकल्प के भाग के रुप मे लिया गया। निर्णय लिया गया कि मु.अ.अ आगे की कार्यवाही करेंगे।

कार्यसूची संख्या 76 के सम्बन्ध मे हस्ताक्षरित सदस्यों के द्वारा दिया गया पत्र।

76. संकल्प

हमने श्री प्रंशात माथुर, भारत सरकार एवं छावनी परिषद, मेरठ के स्थायी अधिवक्ता द्वारा दी गई कानूनी सलाह एवं मु.अ.अ के पत्र जिसमें बोर्ड बैठक दिंनाक 16.09.2015 को बिंदु संख्या 60 मे उठाए गए मुददे् है का अवलोकन किया है। कानूनी सलाह एकदम स्पष्ट है, छावनी अधिनियम एवं सी.एफ.एस.आर के अंतर्गत सी.ई.ई के इस मामले मे, कार्य सौंपने के लिए मुख्य अधिशासी अधिकारी सक्षम अधिकारी है। यदि सीईई को पुनः पूर्ण कार्यभार सौंप दिया जाए, मामले मे उच्च न्यायालय का आदेश दिंनाक 20.12.2013 कोई सीमा या प्रतिबंधन तय नही करता। हमने यह भी नोट किया कि छावनी अधिनियम एवं सी.एफ.एस.आर के अंतर्गत सीईओ को वैध कार्यों का वहन करने से रोकने का बोर्ड के पास कोई अधिकार नही है। हम तदनुसार निर्णय लेते है कि कानूनी सलाह एवं अधिवक्ता के स्पष्टीकरण के अनुसार कार्य सौंपने का अंतिम निर्णय मु.अ.अ पर छोड दिया जाए।

Sdxx/-	Sdxx/-	Sdxx/-	Sdxx/-	Sdxx/-
रीनी जैन,	बुशरा कमाल	बीना वाधवा	(मन्जू गोयल)	(नीरज राठौर)
सदस्य	सदस्य वार्ड 2	उपाध्यक्ष	सदस्य	सदस्य
छावनी परिषद, मेरठ	छावनी परिषद मेरठ	छावनी परिषद मेरठ	छावनी परिषद	छावनी परिषद

हस्ताक्षरित सदस्यों का असहमति पत्र

संकल्प 76 – आपत्ति

सी.ई.ई श्री अनुज सिंह के विरुद्ध जीओसी इन सी के पत्र दिंनाक 19 अक्टुबर 2013 के माध्यम से मिली स्वीकृति के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरु की गई थी। शुरुआत मे जीओसी इन सी ने स्वीकृती देते समय प्रथम दृष्टि मे पाया कार्यवाही बनती है। तदनुसार छावनी परिषद मेरठ ने संकल्प संख्या 91 दिंनाक 26.11.2013 के अंतर्गत मामले पर विचार किया और 07 आरोपों पर प्रथम दृष्टिया संज्ञान लेते हुए आरोप पत्र स्वीकृत किया और उसी के अनुसार आरोप पत्र जारी किया गया तथा अनुज सिंह ने सरकार एवं बोर्ड के हितो के विरुद्ध कार्य किया है और स्वीकृत चार्ज शीट पर जांच शुरु की गई है। बोर्ड ने यह भी संकल्प लिया कि जांच के लंबित रहने के दौरान उनको सीईई के कार्य करने से रोक दिया जाए और यह भी संकल्प लिया कि निदेशालय रक्षा सम्पदा से उनके अन्यत्र तैनाती जांच पूरी होने तक अनुरोध किया जाए। आगे यह भी संकल्प लिया कि निदेशालय रक्षा सम्पदा मध्य कमान से आदेश प्राप्त होने तक तुरंत प्रभाव से वह सीईई का कार्य नही करेंगे। श्री अनुज सिंह ने छा0बो0स संख्या 91 दिंनाक 26.11.2013 को रिट याचिका संख्या ए–70147 सन् 2013 अनुज सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया तथा चार अन्य माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष चुनौती दी। खंड पीठ ने मामले की सुनवाई की तथा आदेश दिंनाक 20.12.2013 के द्वारा श्री अनुज सिंह सीईई की रिट याचिका निरस्त कर दी। स्पष्ट रूप से निर्णय देते हुए कैन्ट बोर्ड मेरठ के अधिकार की पुष्टि की जिसमें श्री अनुज सिंह सीईई के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने तथा श्री अनुज सिंह सीईई के पद के दायित्वों का निर्वाह नही करेंगे तथा संकल्प संख्या 91 दिंनाक 26.11.2013 की पुष्टि की । आगे यह भी निर्देश दिया कि अनुशानात्मक कार्यवाही विधि सम्मत तरीके से प्राथमिकता के आधार पर 03 माह मे पूरी की जाए इस शर्त के साथ कि श्री अनुज सिंह सीईई पूरा सहयोग करेंगे। श्री अनुज सिंह की जांच अभी लंबित है और पूरी नही हुई। अनुज का प्रतिवेदन दिनांक 21.07.2015 तथा 13.04.2015 वैध नही है और उसमें कोई कारण एवं तथ्य नही है। दो साल से जांच पूरी क्यों नही हो सकी है। इस सम्बन्ध मे भी कोई अभिलेख नही रखा गया है कि यह किस कारण सीईई या प्रोजिक्यूशन की वजह से हुआ है, जैसे सूचना मिली है और फाईल देखी है उससे

पता चला कि यह अभी गवाही के स्तर पर है। गवाही का स्तर अति महत्तवपूर्ण है , आरोपों और उनकी गम्भीर प्रकृति यह आज्ञा नही देंगी कि आरोजी सीईई को सीईई के पद के दायित्वों का भार पुनः सौंप दिया जाए जबकि जांच चल रही है और उसके बाद निर्णय आएगा। सीईई सबूतों के साथ छेडछाड अथवा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है। आगे सीईई के दायित्वों को पुनः देने का अर्थ होगा कि छावनी बोर्ड संकल्प संख्या 91 दिंनाक 26.11.2013 तथा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिंनाक 20.12.2013 अवैध हो जाएंगे।

यह भी ज्ञात हुआ है कि श्री अनुज सिंह विद्युत एवं यांत्रिक तथा बागवानी आदि का पिछले कुछ महीनों से कार्य देख रहे है जिसकी बोर्ड से कोई अनुमति अथवा संकल्प पारित नही कराया गया है। अत्याधिक आपत्तिजनक है। विभिन्न तरीकों से लोगो का प्रभाव डलवाने की सूचना है।

श्री अनुज सिंह सीईई के प्रतिवेदन निरस्त किए जाते है। संकल्प संख्या 91 दिंनाक 26.11. 2013 के अनुपालन मे उसको डयूटी न दी जाए। विद्युत यांत्रिक एवं बागवानी आदि के दायित्वों का निर्वाहन यदि उनके द्वारा किया जा रहा है तो तुरंत प्रभाव से वह यह डयूटी नही करेगा। यदि कोई कार्य उनको दिया गया है तो उसकी जांच की जाए और दोषी अधिकारी को संकल्प संख्या 91 दिंनाक 26.11.2013 का उलंघन करने और दुराचरण के लिए दंडित किया जाए। सीईओ/सचिव पालन करें।

Sdxx/-
धर्मेन्द्र सोनकर
सदस्य
छा0परि0मेरठ

Sdxx/-
विपिन सोढी
सदस्य
छा0परि0मेरठ

सदस्य सचिव
Member Secretary
मुख्य अधिशासी अधिकारी
Chief Executive Officer
Meerut Cantt.

अध्यक्ष
छावनी परिषद् मेरठ
President
Cantonment Board, Meerut

दिंनाक : 31 अक्टूबर 2015

(मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद)